

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

सत्र प्रकरण क्र.-217 / 2016

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 05.07.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-मौ

तहसील गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.).....अभियोगी

बनाम

महेश उर्फ छोटू प्रजापति पुत्र श्री जगदीश

प्रजापति आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम देवीपुरा

हाल द्वारिकापुरी वार्ड नं0-13, थाना मौ

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 अभियुक्त

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के
मूल आपराधिक प्रकरण क्र. 340 / 16 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 24.06.
16 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.09.17 को घोषित)

1. अभियुक्त महेश के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-376 एवं 450 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उसने दिनांक 14.05.16 को दिन के करीब 04:00 बजे या उसके लगभग अभियोक्त्री/फरियादिया के किराए के मकान द्वारिकापुरी वार्ड नंबर 13 मौ में अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एवं सम्मति के बिना लैंगिक संभोग कर बलात्संग कारित किया एवं उक्त बलात्कार कारित करने के अपराध के लिए अनाधिकृत रूप से अभियोक्त्री के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।
2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 14.05.16 को अभियोक्त्री द्वारिकापुरी मौ में स्थित किराए के मकान में थी, उसका पति विमलेश प्रजापति मजदूरी करने किटहना गया था। दिन के करीब 04:00 बजे अभियुक्त महेश प्रजापति रतवा रोड द्वारिकापुरी का उसके घर में आ गया और उससे बोला कि मामा

कहां है, तब अभियोक्त्री ने बोला कि मजदूरी को गया है। अभियोक्त्री के बच्चे दूसरे कमरे में टी.वी. देख रहे थे, उसके किबाड बंद करके अभियोक्त्री के कमरे में आया और उससे बोला कि पानी दे दो, तब वह पानी लेने गई तब महेश ने उसे जबरदस्ती पकड़कर तखत पर पटक लिया और कपड़े हटाकर उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम (बलात्कार) कर दिया और भाग गया। अभियोक्त्री के पति रात को घर आए तब उन्हें सारी बात बताई। उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट प्र0पी0-04 थाना मौ में की गई, जिस पर से प्र0पी0-05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96/16 अंतर्गत धारा-450 एवं 376 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

3. अभियोजन के अनुसार दूसरे दिन दिनांक 15.05.16 को अभियोक्त्री को मेडीकल परीक्षण हेतु भेजा गया, जहां उसका मेडीकल परीक्षण हुआ। अभियोक्त्री के कपड़े, स्लाइड, बाल सील नमूना आदि थाना मौ के आरक्षक के द्वारा अस्पताल भिण्ड से लाकर पेश करने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया। अभियुक्त महेश को गिरफ्तार किया गया, उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया जो प्र0पी0-03 है। उसका सीमेन स्लाइड, अंडर वियर, प्यूबिक हेयर एवं सील नमूना जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-01 बनाया गया। घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-06 बनाया गया। उसी दिनांक 15.05.16 को अभियोक्त्री का प्र0पी0-07 का कथन लिया गया। अभियोक्त्री के पति विमलेश प्रजापति का प्र0पी0-09 का तथा उसके पुत्र शिवम व पुत्री दामिनी का कथन दिनांक 16.05.16 को लिया गया। जप्तशुदा वस्तुओं को क्षेत्रीय न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर परीक्षण हेतु भेजा गया। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा उस रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त महेश की स्लाइड ए, अंडरवियर बी पर मानव शुक्राणु पाए गए। अभियोक्त्री की चड्डी डी-1, स्लाइड डी-2, स्वाब डी-3 पर मानव शुक्राणु पाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

4. अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया गया तथा विचारण की मांग की। धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त का परीक्षण किए जाने

पर स्वयं का निर्दोष होना प्रकट किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.05.16 को दिन के 04:00 बजे या उसके लगभग अभियोक्त्री के किराए के मकान स्थित द्वारिकापुरी वार्ड नंबर 13 मौ में अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध एवं सम्मति के बिना लैंगिक संभोग कर बलात्संग कारित किया एवं उक्त अपराध कारित करने के लिए अनाधिकृत रूप से अभियोक्त्री के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 :-

6. डॉ० विजय कुमार अ०सा०-05 ने दिनांक 15.05.16 को महेश का मेडीकल परीक्षण करना तथा उसे संभोग करने के लिए योग्य होना बताया है। उसके अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, सीमेन स्लाइड, अलग-अलग पैकेट में जप्त कर सील कर साथ में सील नमूना भेजा जाना बताया है। उनकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०-03 है। सुभाष चौहान अ०सा०-01 ने उक्त सामग्री लाकर एच. सी.एम. हरिसिंह चौहान अ०सा०-04 को देना बताया है तथा उसने जप्ती पंचनामा प्र०पी०-01 बनाया जाना बताया है।
7. इसी प्रकार अमरसिंह अ०सा०-02 ने अभियोक्त्री के वैजाइना द्रव की दो स्लाइडें, प्यूबिक हेयर एवं अभियोक्त्री की चड्डी एवं सील नमूना जिला अस्पताल भिण्ड से लाकर थाना मौ के एच.सी.एम. हरिसिंह चौहान अ०सा०-04 के सुपुर्द करना बताया है और उसका जप्ती पंचनामा प्र०पी०-02 हरिसिंह चौहान अ०सा०-04 के द्वारा बनाया जाना बताया है। आसिफ खां अ०सा०-03 ने उक्त प्र०पी०-01 एवं 02 की पुष्टि की है।
8. धारा-293 दं०प्र०सं० के अनुसार प्रस्तुत की गई एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांकित 02.08.16 सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की है तथा उन्हें सम्यक् रूप से भेजी गई सामग्री के बारे में स्वहस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, इस विचारण में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है अतः उसे प्र०पी०-11 से प्रदर्शित किया गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र०पी०-11 के मुताबिक अभियुक्त की सीमेन की स्लाइड ए, अंडरवियर बी तथा अभियोक्त्री की चड्डी डी-1,

स्लाइड डी-02 एवं स्वाब डी-03 पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु होना पाए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री एवं अभियुक्त दोनों के ही उक्त अंदरूनी वस्त्रों पर वीर्य के धब्बे एवं शुक्राणु पाए गए हैं।

9. अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने यह बताया है कि लगभग एक साल पहले वैशाख के महीने में दिन में तीन-चार बजे, जब वह अपने घर में कपड़े धो रही थी, तब एक अभियुक्त आया और उससे पानी पीने को मांगने लगा। तब उसने पीने के लिए पानी दिया तथा वह व्यक्ति जबरन पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया तथा भाग गया। शाम को जब उसके पति विमलेश लौटकर आया तो घटना की सारी बात सारी बात बताई, तब रिपोर्ट करने थाने गई थी। वहां पर कहा गया कि लिखित में रिपोर्ट पेश करो तो एक पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखी थी। उक्त लेखीय आवेदन प्र0पी0-04 है, जिस पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-05 लिखी गई थी, जिस पर निशानी अंगूठा लगाया था। इसी प्रकार विमलेश अ0सा0-01 ने उसकी पत्नी से किसी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार करके भागना बताया है। परंतु दोनों ने ही यह नहीं बताया है कि अभियुक्त महेश ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया था।

10. अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने पैरा-04 में यह बताया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियुक्त महेश के द्वारा बलात्कार किए जाने की बात बताई थी, जो कि पुलिस के बताए जाने पर बताई थी। उसे अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त महेश उर्फ छोटू ने ही उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की थी, उसने प्र0पी0-04 के लिखित आवेदन और प्र0पी0-05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में "महेश प्रजापति.....मजदूरी को गया है" ए से ए भाग की बात तथा "महेश ने मुझे..... बुरा काम बलात्कार कर दिया" के अंश नहीं बताया जाना बताया है।

11. अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर पुलिस कथन प्र0पी0-07 का ए से ए भाग " महेश प्रजापति.....कहां गए हैं" एवं बी से बी भाग " महेश ने बुरी नियत से सोई वह भाग गया" पढ़कर सुनाए जाने पर उक्त ए से ए एवं बी से बी भाग के अंश नहीं बताया जाना बताया है।

12. अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने पैरा-03 में महेश का नाम अपने कथन में लिखाया जाना बताया है परंतु यह बताया है कि पुलिस वालों ने उसे महेश का नाम बताया था। प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया है कि उपस्थित अभियुक्त अर्थात् महेश ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया। वह अज्ञात व्यक्ति के संबंध में रिपोर्ट लिखाने थाने पर गई थी और पुलिस वालों को भी अज्ञात के संबंध में बताया था। पुलिस के कहने पर अंगूठा लगा दिया था।
13. अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने यह भी स्वीकार किया है कि जब मजिस्ट्रेट न्यायालय में कथन देने आई थी, तब पुलिस वालों ने यह समझाया था कि अज्ञात व्यक्ति का नाम महेश है जो बता देना। इस प्रकार उसने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ घटना नहीं की है और महेश के संबंध में उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। इसी प्रकार विमलेश अ0सा0-07 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी ने घटना कारित करने वालों में किसी का नाम नहीं बताया था। कु0 दामिनी अ0सा0-09 ने भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।
14. महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने अपने संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में उसने उसके साथ बलात्कार होने की घटना तो बताई है परंतु यह नहीं बताया है कि महेश ने उसके साथ बलात्कार किया है। अपितु किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बलात्कार करना बताया है। उसके संपूर्ण परीक्षण से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अभियुक्त महेश ने उसके साथ बलात्कार किया। जहां कि अभियोक्त्री ने स्पष्ट नहीं बताया है कि महेश ने उसके साथ बलात्कार किया। जिसके आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में उक्त बलात्कार महेश ने किया या अन्य किसी ने किया।
15. विमलेश अ0सा0-07 को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण में अभियोजन की ओर से यह सुझाव दिए जाने पर उसने इन्कार किया है कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि अभियुक्त महेश ने ही उसे तखत पर पटककर उसके साथ बलात्कार किया था। प्र0पी0-09 का पुलिस कथन न लिखाया जाना बताया है। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त महेश उर्फ छोटू ने ही उसकी पत्नी के साथ बलात्कार की घटना कारित की थी। प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-05 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें महेश के द्वारा बलात्कार करने के तथ्य हैं। परंतु

न्यायालय में अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने यह बताया ही नहीं है कि महेश ने उसके साथ बलात्कार किया था। अपितु प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उपस्थित अभियुक्त महेश ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

16. रेनू जादौन अ0सा0-08 ने अभियोक्त्री का कथन लेना बताया है परंतु उपरोक्तानुसार अभियोक्त्री अ0सा0-06 ने पुलिस को अभियुक्त के संबंध में कोई कथन नहीं देना बताया है।

17. अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त महेश के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 14.05.16 को दिन के 04:00 बजे या उसके लगभग अभियोक्त्री के किराए के मकान स्थित द्वारिकापुरी वार्ड नंबर 13 मौ में अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध एवं सम्मति के बिना लैंगिक संभोग कर बलात्संग कारित किया एवं उक्त अपराध कारित करने के लिए अनाधिकृत रूप से अभियोक्त्री के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

18. फलस्वरूप अभियुक्त महेश उर्फ छोटू प्रजापति को भा0दं0सं0 की धारा-376 एवं 450 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत मुचलके उन्मुक्त किए जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कपड़े, स्लाइड आदि बाद मियाद अपील नष्ट किए जाएं। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

20. अभियुक्त को दिनांक 15.05.16 को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 18.07.16 को उसे जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त 65 दिवस निरोध में रहा है। निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21. धारा-365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड